आदेष की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेष और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेष पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

वाद संख्या-सी0आर0एम0-15/2011-12

विजय कुमार केसरी

बनाम

बिहार सरकार

23.09.2014

आदेश

अपीलकर्ता विजय कुमार केसरी वल्द मोहन केसरी ग्राम-बिलासपुर थाना-रामनगर द्वारा यह अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह- अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा आदेश दिनांक 28.12.2011 को अनुज्ञप्ति संख्या-64/07 को रदद् करने से संबंधित पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपील आवेदन पत्र पर सुनवाई की गयी। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी। निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है, जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 16.10.2011 को प्रातः 8.00 बजे मोतीपुर पुल के पास धनरपा एवं विलासपुर के बीच तांगा गाड़ी में लादा हुआ ग्यारह बोरा खाद्यान्न म0 रउफ अंसारी एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया था। प्राप्त सूचना के आधार पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, रामनगर द्वारा जांच की गयी। जाचोपरांत उन्होने प्रतिवेदित किया है कि विकास मित्र योगेन्द्र राम एवं तीन-चार अन्य व्यक्तियों ने बताया कि खाद्यान्न विलासपुर से उठाकर धनरपा गांव ले जा रहे है, तथा खाद्यान्न के लाभार्थी वे लोग ही है। तत्पश्चात जांच पदाधिकारी द्वारा विक्रेता के दुकान की जांच की गयी। जांच में भंडार पंजी नही दिखाया गया। विक्रेता द्वारा वितरण पंजी में क्रमांक, मात्रा एवं उपभोक्ता का हस्ताक्षर संधारित नही था। सूचनापट्ट नियमानुसार नही टांगा हुआ था। जांच पदाधिकारी द्वारा कुछ उपभोक्ताओं का बयान लिया गया जिस में एक उपभोक्ता बीरबल राम के नाम पर एक क्विंटल खाद्यान्य दर्शाया गया है जबकि श्री राम के नाम से अन्त्योदय का कुपन जो माह सितम्बर 2011 का प्राप्त हुआ हैं। इस प्रकार उन्होने प्रतिवेदित किया है कि उपभोक्ताओं के बयान में दर्शायें गये खाद्यान्न की मात्रा के अनुरूप वितरण पंजी में नही दर्शाया गया है और न ही उनके मात्रा के अनुरूप किसी भी मद का कूपन पाया गया। यह प्रतिवेदित किया गया है कि पकड़े गये खाद्यान्न की मात्रा

आदेष की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेष और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेष पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

अनुमानित 5.50 क्विंटल होता है। जबकि उपभोक्ताओं को दिये गये बयान में खाद्यान्न की मात्रा 6.50 क्विंटल दर्शाया गया है।

अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। विक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में यह दर्शाया गया है कि खाद्यान्न की मात्रा एवं उपभोक्ताओं के बयान में अंतर का मुख्य कारण यह है कि 02 उपभोक्ता जो साईकिल पर सवार थें एक-एक बोरा खाद्यान्न अपने साईकिल के कैरियर पर ले जा रहे थे, लेकिन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, रामनगर के प्रतिवेदन में साईकिल से ले जा रहे उपभोक्ता का कही उल्लेंख नही किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा आदेश में उल्लेख किया गया है कि विक्रेता द्वारा कालाबाजारी के नियत से खाद्यन्ना बेचने हेतु ले जाया जा रहा था जो अनुज्ञप्ति के सभी शर्तो का सरासर उल्लघंन है। उपरोक्त अनियमितता के आरोप में अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा अपीलकर्ता का अनुज्ञप्ति संख्या-64/2007 का तत्कालिक प्रभाव से रदद् कर दिया गया।

अपीलकर्ता ने अपील आवेदन पत्र में उल्लेंख किया है कि म0 रउफ आलम पूर्व में पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी थें। जो चुनाव हार गये। अब लोगों के बीच अपनी स्थिति दर्ज कराने के लिए जीते हुए मुखिया के समर्थको पर नाजायज हथकंडे का उपयोग करते रहते है। म0 रउफ आलम खॉ एवं उनके समर्थक द्वारा जायज को नाजायज बताकर प्रस्तुत किया गया है।

यह भी कहा गया है कि बहुत पहले से ही कई लाभार्थी दूरी अधिक होने ढुलाई भाड़ा ज्यादा लगने के कारण एक ही सवारी पर अपना खाद्यान्न लादकर ले जाते है और खाद्यान्न का बंटवारा गांव पहुँचकर कर लेते है। इस प्रकार उन्हें ढुलाई के मद में बहुत ही कम रूपयें खर्च करने पड़ते है।

अपीलकर्ता का यह भी कहना है कि उन्होनें कालाबाजारी के नियत से कोई काम नही किया है। अगर वे खाद्यान्न की कालाबाजारी किये होते तो उन लाभार्थियों का कूपन उनके पास कैसे आता तथा लाभार्थी इसका समर्थन क्यों करते।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में अंचल अधिकारी-सह-प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, रामनगर का पत्रांक 2011, दिनांक 16.10.2011 संलग्न है, जो

आदेष की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेष और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेष पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा को सम्बोधित है जिसमें उन्होनें उल्लेख किया है कि दिनांक 16.10.2011 को सुबह 8.00 बजे मोतीपुर के पास 11 बोरा खाद्यान्न तांगा गाड़ी पर म0 रउफ एवं अन्य ग्रमीण द्वारा घेरवाकर रखा गया था। जांच के क्रम में विकास मित्र योगेन्द्र राम एवं अन्य द्वारा बताया गया कि खाद्यान्न बिलासपुर से उठवाकर धनरप्पा गांव ले जाया जा रहा है तथा खाद्यान्न का लाभार्भी ये ही है। उन्होने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि प्रथम दृष्टया जनवितरण प्रणाली विक्रेता की यह लापरवाही है। अभिलेख सही तरह से नही रहने के कारण अनियमितता प्रदर्शित हो रही है। तत्काल सभी खाद्यान्न रामनगर थाना में सुरक्षित है।

अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, बगहा के द्वारा आवेदक के स्पष्टीकरण को स्वीकार नही किया गया। वितरित मात्रा और प्राप्त कूपन के संबंध में आवेदक के जवाब का अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, बगहा के द्वारा अवलोकन नही किया गया। अतः अपीलकर्ता के अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, बगहा को आदेश दिया जाता है कि वे वितरण पंजी एवं अभिलेख का अवलोकन कर, अपीलकर्ता के पक्ष को सुनकर पुनः मुखर आदेश पारित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया
23/9/14

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया
23/9/14